न्यायालय उपखण्ड अधिकारी रामगढ पचवारा, जिला–दौसा

पीठासीन अधिकारी – मोहरसिंह मीना (आरएएस)
– उपखण्ड अधिकारी रामगढ पचवारा दौसा ।।

मुकदमा नम्बर 11/21 – ....

दर्ज दिनांक :– 22/03/21 – ....

1. पूनीराम पुत्र श्रीराम
2. प्रभूलाल पुत्र श्रीराम
3. हरलाल पुत्र श्रीराम
4. छोटू पुत्र श्रीराम
5. कजोड पुत्र नारायण

समस्त जाति मीना निवासी ग्राम ढोलावास, तहसील राहूवास जिला–दौसा

– अपीलाण्ट्स

बनाम्

1. लच्छया पुत्र पांच्या जाति मीना निवासी ग्राम ढोलावास तहसील राहूवास जिला–दौसा।
2. ग्राम पंचायत डूंगरपुर तहसील राहूवास जिला–दौसा।
3. राजस्थान सरकार द्वारा तहसीलदार राहूवास जिला–दौसा।

– रेस्पोन्डेन्ट्स

उपस्थित :– श्री बृजमोहन गौड – अधिवक्ता अपीलाण्ट्स
श्री सुरेन्द्र महावर – अधिवक्ता रेस्पोंडेन्ट्स

<u>दफा–5 मियाद अधि0 अन्तर्गत अपील विरूद्ध नामान्तरकरण आदेश अधिनस्थ ग्राम पंचायत डूंगरपुर तत्कालीन तहसील लालसोट दिनांक निल व नामान्तरकरण संख्या 42,41 ग्राम पंचायत ढोलावास तहसील राहूवास जिला–दौसा</u>

:: निर्णय :: दिनांक 04.04.2023

यह अपील ग्राम पंचायत डूंगरपुर तत्कालीन तहसील लालसोट के अदिनांकित नामान्तरकरण संख्या 41, 42 के विरूद्ध पेश की गई है।

उनवानी अपील पूनीराम बनाम लच्छा विरूद्ध नामान्तरकरण संख्या 42 व पूनीराम बनाम लोहड्या विरूद्ध नामान्तरकरण संख्या 41 में प्रकृति, तथ्य एवं कानूनी बिन्दू समान होने के

उपखण्ड अधिकारी
रामगढ पचवारा (दौसा)

कारण दोनो अपीलों का निस्तारण एक साथ किया जा रहा है। दोनो पत्रावलियों में निर्णय की प्रति संलग्न की जाय।

संक्षेप्त में प्रकरण के तथ्य इस प्रकार है कि दिनांक 02.03.2022 को जरिये प्रार्थीगण पूनीराम व अन्य समस्त जाति मीना निवासी ग्राम ढोलावास तहसील राहूवास जिला दौसा द्वारा अपील नामान्तरकरण विरूद्ध ग्राम पंचायत डुंगरपुर तत्कालीन तहसील लालसोट नामान्तरकरण संख्या 41,42 पेश की है कि आराजी खसरा नम्बर 35 रकबा 05 बीघा 03 बिस्वा जो प्रार्थीगण संख्या एक लगायत चार के पिता व प्रार्थी संख्या 05 के बाबा स्व0 श्रीराम पुत्र चन्द्रया जाति मीना निवासी ढोलावास के नाम दर्ज रिकॉर्ड थी। तत्कालीन सरपंच ग्राम डूंगरपुर पंचायत समिति लालसोट ने प्रार्थीगण के पिता की खातदारी भूमि के 02 बीघा 14 बिस्वा भू–भाग का नामान्तरकरण संख्या 41 दिनांक 26.05.1973 को अप्रार्थी संख्या एक के नाम व उक्त आराजी के 01 बीघा 07 बिस्वा भू भाग का अप्रार्थी संख्या 02 के नाम न्याय के सामान्य सिद्धान्तों के विपरित क्षेत्राधिकार का अतिक्रमण कर नामान्तरकरण संख्या 42 तस्दीक कर दिया गया जिसका उन्हे कोई अधिकार नहीं था। उक्त अवैध प्रश्नगत नामान्तरकरणों के आधार पर आराजी खसरा नम्बर 407/35 रकबा 01 बीघा 07 बिस्वा की खातेदारी अप्रार्थी संख्या दो लच्छया के नाम तथा आराजी खसरा नम्बर 408/35 रकबा 01 बीघा 07 बिस्वा की खातेदारी अप्रार्थी संख्या एक लोहडया के नाम अंकित कर दी गई। आराजी खसरा नम्बर 35 रकबा 05 बीघा 07 बिस्वा वाके ग्राम ढोलावास के रकबा एक बीघा सात बिस्वा के धारा 42क के प्रावधानों के विपरित जाकर प्रश्नगत नामान्तरकरण तस्दीक किये गये जिनमें कोई दिनांक का भी अंकन नहीं है। प्रश्नगत नामान्तरकरण ग्राम पंचायत के आदेश दिनांक 26.05.1973 के अनुसार भरे गये जिसकी भू0अ0 निरीक्षक द्वारा बिना दिनांक के ही तुलना कर दी गई। तत्कालीन सरपंच ग्प्रम डूंगरपुर द्वारा उक्त नामान्तरकरण संख्या 41 व 42 अ नाधिकृत अवैध एवम अनियमित रूप से तस्दीक किये गये है।

उक्त नामान्तरकरणों की अपील मियाद अधिनियम की धारा 5 के साथ पेश की गई जिसमें अपीलाण्ट्स ने प्रश्नगत नामान्तरकरण आदेशों के अवैध, अनाधिकृत एवम् क्षेत्राधिकार विहीन करार देते हुए ऐसे आदेशों को चुनौती देने में समय सीमा बाधक नहीं होने के कथन किये है। साथ ही अपीलाण्ट्स का कहना है कि प्रश्नगत नामान्तरकरणों की जानकारी अपीलाण्ट्स को सर्वप्रथम दिनांक 05.08.2021 को प्रत्यर्थी संख्या एक द्वारा चेतावनी निष्कासन के बाद हुई। अपीलाण्ट्स ने पटवारी हल्का से तलाश किया तो नामान्तरकरण जिला अभिलेखागार में जमा होना पाया गया जहां से दिनांक 13.08.2021 को नकल प्राप्त कर यह प्रार्थना पत्र पेश किया है। अपीलाण्ट्स ने उक्त कथन करते हुए अपील पेश करने में हुई देरी क्षमा करते हुए अपील अपीलाण्ट्स अंदर मियाद शुमार करने की इस्तदुआ की है। रेस्पोंडेन्ट्स द्वारा मियाद के बिन्दू का एतराज प्रकट कर मियाद के प्रार्थना पत्र का जवाब पेश किया है। रेस्पोंडेन्ट्स ने अपने जवाब में कथन किये है कि रेस्पोंडेन्ट्स के हक में तस्दीक किये गये प्रश्नगत नामान्तरकरण विधि एवम् प्रक्रिया के तहत नियमानुसार समस्त औपचारिकताए पूर्ण कर खोले गये है जिनकी प्रारम्भ से ही अपीलाण्ट्स को उसके पूर्वजों के द्वारा बेचान के समय ही जानकारी रही है। रेस्पोंडेन्ट्स के हक में खोले गये प्रश्नगत नामान्तरकरणों को चुनौती देने का अपीलाण्ट्स को कोई हक अधिकार नहीं है। प्रश्नगत नामान्तरकरण दिनांक 26.05.1973 के विरूद्ध आधारहीन तथ्यों पर लगभग 50 वर्ष पश्चात् अपीले प्रस्तुत की है। जबकि नियमानुसार 30 दिवस की मियाद में अपील पेश करने का प्रावधान है। अपलीण्ट्स द्वारा देरी का कोई युक्ति युक्त कारण की अंकित नहीं किया है ऐसी सूरत में अपीलाण्ट्स की अपील स्पष्टतया मियाद बाहर होने के कारण निरस्तनीय है।

उपखण्ड अधिकारी
रामगढ़ पचवारा (दौसा)

रेस्पोंडेन्ट्स का आगे कहना है कि प्रश्नगत नामान्तकरणों की अपीलाण्ट्स को जानकारी प्रारम्भ से ही उनके पूर्वजों द्वारा भूमि बेचान किये जाने के दिवस से रही है। वादगस्त भूमि पर रेस्पोंडेन्ट्स का वर्ष 1973 से भी पूर्व से कब्जा चला आ रहा है तथा वादगस्त आराजी पर मिन उत्तरदाता रेस्पोंडेन्ट्स के पुख्ता मकानात् बने हुए है जिनमें अपने परिवार सहित निवास करते चले आ रहे है। उक्त आराजीयात् पर रेस्पोंडेन्ट्स के विधुत कनेक्शन भी है। इस सभी तथ्यों की अपीलाण्ट्स को प्रारम्भ से जानकारी है फिर भी अपीलाण्ट्स ने उक्त अपीले नामान्तरकरण के करीब 50 वर्ष बाद असत्य कथनो के आधार पर केवल मिन रेस्पोंडेन्ट्स की सम्पत्ति हडपने की गरज से प्रस्तुत की है।

प्रार्थना–पत्र मियाद अधिनियम दफा–5 पर वकील उभय–पक्ष की बहस सुनी गइ। दौराने बहस विद्वान अधिवक्ता अपीलाण्ट्स ने प्रार्थना–पत्र के तथ्यों को ही दोहराते हुए तर्क दिये कि खसरा नम्बर 35 रकबा 05 बीघा 03 वाकै ग्राम ढोलावास तहसील राहूवास खातेदार श्रीराम की भूमि के संबंध में नामान्तकरण 41 व 42 दिनांक 26.05.1973 को तस्दीक किये गये है। अपीलाण्ट्स अनपढ है, उन्हे इसकी जानकारी नहीं थी। दिनांक 05.08.2021 को जानकारी हुई जब रेस्पोडेन्ट्स द्वारा प्रार्थी की भूमि से निष्कासन की चेतावनी दी गई। तदुपरान्त दिनांक 13.08.2021 को पंचायत से रिकॉर्ड निकलवाया जाकर अपील पेश की है। विद्वान अधिवक्ता अपीलाण्ट्स ने अपनी बहस के समर्थन में न्यायिक दृष्टांत "आरआरजे(13) 2006 पेज संख्या 796" जिसमें यह सिद्धान्त प्रतिपादित किया है कि When substantial question of law involved in appeal, delay condoned. पेश कर तर्क दिया है कि यह सिद्धान्त प्रश्नगत नामान्तरकरणों की कार्यवाही पर पूर्णत लागू होता है। ग्राम पंचायत द्वारा की गई क्षेत्राधिकार विहीन कार्यवाही आरम्भ से नल एण्ड वॉयड है जिसे चैलेंज करने में कोई समय सीमा बाधक नहीं है। अतः अपील अपीलाण्ट्स मियाद शुमार की जावे।

उक्त बहस के विपरित अपनी जवाबी बहस में विद्वान अधिवक्ता रेस्पोडेन्ट्स ने दलीले दी है कि जब दिनांक 05.08.2021 को अपीलाण्ट्स को पता तो रेस्पोडेन्ट्स द्वारा न तो कोई एफआईआर दर्ज करवाई ना ही तहसीलदार के पास कोई प्रार्थना–पत्र पेश किया है। 1973 में ामान्तरकरण स्वीकृत किया गया था जिसे अब लगभग 50 वर्ष बाद इतने वर्षो में कैसे पता नहीं चला रेस्पोडेन्ट्स ने इसका कोई ठोस कारण नहीं दिया है। मात्र कह देने से ही मौखिक कथनों पर इतनी लम्बी अवधि की देरी को माफ नहीं किया जा सकता। नामान्तकरण स्वीकृत करते समय श्रीराम को सुना गया है ऐसे कथन नामान्तकरण पर अंकित है। ऐसी स्थिति में यह कैसे कहा जा सकता है कि प्रश्नगत नामान्तरकरणों की जानकारी नहीं रही है। प्रार्थीगण के पर्वजों का डाक्युमेन्ट है जिसमें श्रीराम पुत्र चन्द्रा मीना ने बेचान कर रेस्पोडेन्ट्स को कब्जा सुपुर्द किया है यह तथ्य स्वतः ही एडमिट है। बेचान की बात 1973 से पूर्व की है तथा कब्जा भी पूर्व से ही चला आ रहा है इस प्रकार इन्हें अब पता चलने के तथ्य मिथ्या है जबकि आरम्भ से ही रेस्पोडेन्ट्स तथा उनके पूर्वजों को जानकारी रही है। इस प्रकार अपीलाण्ट्स की अपील देरी से प्रस्तुत की गई है जिसमे डिले कंडोन के कोई विधिक कारण पेश नहीं किये है अतः अपील इसी स्तर पर खारिज की जावे।

उक्त कथन के जवाब में विद्वान अधिवक्ता अपीलाण्ट्स का यह भी कहना है कि अपीलाण्ट्स के पूर्वजो द्वारा विवादग्रस्त आराजी का बेचान ही नही किया गया था। 99/– रूपये में बेचान की बात जानबूझकर तय की है जबकि ग्राम पंचायत किमत तय करने वाली अथोरिटी नहीं थी।

हमने विद्वान अधिवक्ता उभयपक्ष की बहस पर ध्यान पूर्वक गौर फरमाया। पत्रावली व विद्वान अधिवक्ता द्वारा प्रस्तुत न्यायिक दृष्टांत का सम्मानपूर्वक अध्ययन किया । पत्रावली के अवलोकन से स्पष्ट है कि अपीलाण्ट्स द्वारा यह अपील नामान्तरकरण संख्या 41व 42 के

उपखण्ड अधिकारी
राजगढ़ (अलवर)

विरूद्ध पेश की है जो ग्राम पंचायत द्वारा 1973 में खोले गये है। अपील के साथ देरी की माफी हेतु प्रस्तुत मियाद अधिनियम की धारा 5 के प्रार्थना पत्र में प्रश्नगत नामान्तरकरण आदेशों के अवैध, अनाधिकृत एवम् क्षेत्राधिकार विहीन करार देते हुए ऐसे आदेशों को चुनौती देने में समय सीमा बाधक नहीं होने के कथन अंकित किये है किन्तु ऐसे कोई तथ्य पेश नहीं किये जो यह साबित करते हो कि प्रश्नगत नामान्तकरण किस तरह से अवैध है। प्रार्थना पत्र मियाद अधिनियम को साबित करने का भार अपीलाण्ट्स पर है अतः अपीलाण्ट्स को मियाद के बिन्दुओं को साबित किया जाना है। विद्वान अधिवक्ता रेस्पोडेन्ट्स की इस दलील से हम सहमत है कि नियमानुसार 30 दिवस में ही अपील पेश किये जाने का प्रावधान है और उचित कारण पेश करने पर दफा 5 के साथ देरी को माफ किया जा सकता है, किन्तु इस प्रकरण में अपीलाण्ट्स ने देरी को माफ किये जाने और मियाद के बिन्दुओं को साबित करने हेतु कोई उचित कारण या तथ्य न्यायालय के सम्मुख प्रस्तुत नही किया है। विद्वान अधिवक्ता अपीलाण्ट्स द्वारा प्रस्तुत न्यायिक दृष्टांत में उद्धरित न्यायिक सिद्धान्त के प्रति यह न्यायालय पूर्ण आस्था प्रकट करता है किन्तु प्रश्नगत नामान्तरकरणों को अवैध साबित करने वाले तथ्यों, सबूतों के अभाव में इस स्तर पर उक्त न्यायिक दृष्टांत विद्वान अधिवक्ता की कोई मदद नहीं करते है। साथ ही अपीलाण्ट्स के यह तथ्य की प्रश्नगत नामान्तरकरणों की जानकारी सर्वप्रथम दिनांक 05.08.2021 को प्रत्यर्थी संख्या एक द्वारा चेतावनी निष्कासन के बाद हुई, इस तथ्य को बलयुक्त बनाने वाले कब्जे के दस्तावेज पेश करने में अपीलाण्ट्स असफल रहे है जिससे साबित हो कि अपीलाण्ट्स का आराजीयात् पर कब्जा है। तीसरा बहस का बिन्दू जिसमें अपीलाण्ट्स के अधिवक्ता ने आराजीयात् के बेचान नही करने का तर्क दिया है, जो अपील के प्रार्थना पत्र पर निर्णीत नहीं किये जा सकते है। यह अलग विषय है कि बेचान किया गया है कि नहीं। बेचान वैध है या अवैध। यह सक्षम न्यायालय द्वारा तय किया जाना है। इस न्यायालय को अभी केवल मियाद के बिन्दू पर ही विचार करना है। इस संबंध में विधि की मंशा है कि उचित कारण पेश किये जाने पर मियाद का प्रार्थना पत्र स्वीकार कर देरी को न्यायहित में कंडोन किया जाना चाहिए। इस प्रकरण में विद्वान अधिवक्ता अपीलाण्ट्स प्रार्थना पत्र को साबित करने में असफल रहे है। इस प्रकार प्रार्थना–पत्र दफा 5 मियाद अधिनियम स्वीकार किये जाने योग्य प्रतीत नहीं होता है।

:: आदेश ::

अतः उक्त तथ्यों एवं विवेचनों के आधार पर विद्वान अधिवक्ता अपीलाण्ट्स प्रार्थना–पत्र धारा–5 परिसीमा अधिनियम के तथ्यों को साबित करने एवं अवैध नामान्तरकण एवं अपीलाण्ट्स के कब्जे के अभिवाक्ों को बलयुक्त बनाने वाले साक्ष्य, सबूत पेश करने में असफल रहे है परिणास्वरूप अपील में हुए डिले को कंडोन किया जाना न्यायोचित प्रतीत होता है। अतः प्रार्थना– पत्र मियाद अधिनियम अस्वीकार का अपील अपीलाण्ट्स इसी स्तर पर खारिज की जाती है। पत्रावली फैसल शुमार होकर नम्बर से कम हो। दाखिल दफ्तर हो।

निर्णय मेरे द्वारा लिखवाया जाकर आज दिनांक 04.04.2023 को उभयपक्ष की उपस्थिति में सरे इजलास सुनाया गया।

मोहरसिंह मीना (आरएएस)
उपखण्ड अधिकारी
रामगढ पचवारा दौसा